

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक
सेवा में,

4498 / 14-10-4

दिनांक, हरदोई, 22-05-2018।

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद-हरदोई में राजमार्ग सं०-38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद) कि०मी० 00-21.00 व राजमार्ग सं०-21(बिलरायों-पनवारी मार्ग) कि०मी०-174 से 199.00 तक कुल दूरी 46.00 कि०मी० के मध्य रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा संरक्षित मार्ग पटरी पर 0.4848 हे० वन भूमि पर ओ०एफ०सी० बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आन लाइन Proposal No- FP/UP/Others/31676/2018 दिनांक-03-02-2018।

महोदय,

निवेदन है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत उक्त विषयक मार्ग के किनारे रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा ओ० एफ०सी लाइन डाला जाना प्रस्तावित है। ओ० एफ०सी लाइन बिछाये जाने से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4848 हे० भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य व शून्य बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्नक सहित (03 प्रतियों में) आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-प्रस्ताव, सी०डी० सहित।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांक- 4498/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतास के० ट्राइडेंट द्वितीय तल, महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।

अतिरिक्त प्रति